न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 25 दायर दिनांक : 23.01.2024

1. अंग्रेज सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एस. एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. कुलविन्द्र कौर पत्नी अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एस.एच. पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—वादीगण

बनाम

1. राजसिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एस.एच.पी. डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. बलविन्द्र कौर पुत्री स्व. गुरदेव सिंह पत्नी बलकौर सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम वीरेवाला तहसील सरदूलगढ़ जिला मानसा, पंजाब
3. बलजीत कौर पुत्री स्व. गुरदेव सिंह पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान
4. राजवीर कौर पत्नी शैलेन्द्र सिंह पुत्रवधु राजसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये भू—प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
6. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
7. शाखा प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री प्रदीप कुमार, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 4
3. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 07.02.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद धारा 88, 53 व 209 राजस्थान

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण आपस में पति–पत्नी हैं एवं वादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3, वादी सं. 1 के सगे भाई और बहिनें व वादीया सं. 2 के जेठ और ननदें हैं तथा प्रतिवादीया सं. 4, वादी सं. 1 के भाई की पुत्रवधु है। वादी सं. 1 व 2 के पिता और ससुर एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पिता व 4 के दादा ससुर गुरदेवसिंह पुत्र अरजनसिंह का सन् 1973 में स्वर्गवास हो गया था, जिनकी मृत्यु उपरान्त वादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 की माता बलवीर कौर पत्नी स्व. गुरदेव सिंह के द्वारा अपनी संतानों को पाल–पोष कर बड़ा किया गया। वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 दोनों भाइयों के द्वारा अपनी मेहनत मुश्कत से अपना व अपनी बहिनों प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 का विवाह अच्छे घरों में किया गया, जो कि अपने–अपने ससुराल में राजीखुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 अपने–अपने परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से निवास करते आ रहे हैं व दोनों भाई संयुक्त रूप से अपनी खेती–बाड़ी कर अपना व अपने परिवार सदस्यों का जीवनयापन करते आ रहे हैं, जो कि संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं। चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की संयुक्त खाता सं. 40/36 के पत्थर नं. 75/345 (8) के किला नं. 1/2 में 0.228 है0, 2 से 9/2.024 है0, 10/2 में 0.228 है0, 11/2 में 0.228 है0, 12 से 19/2.024 है0, 20/2 में 0.228 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 6.200 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से वादी सं. 1 के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो अलग–अलग पंजीबद्ध बैयनामों के द्वारा दिनांक 05.10.1989 व 11.10.1989 से खरीद की हुई है एवं इसी चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 26/26 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14 से 17/1.012 है0 = 2.024 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो उक्त खाता सं. 40/36 में अकित 6.200 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि की आय से माता बलवीर कौर पत्नी स्व. गुरदेव सिंह के नाम से खरीद की हुई थी व उनके स्वर्गवास उपरान्त विरासतन वादी

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई तथा इसी चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 28/28 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 1 से 3/0.759 है0, 8 से 13/1.518 है0, 18 से 25/2.024 है0 = 4.301 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से वादीया सं. 2 के नाम 1138/4301 हिस्सा व प्रतिवादीया सं. 4 के नाम 3163/4301 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 दोनों भाइयों के द्वारा वादी सं. 1 की पत्नी व प्रतिवादी सं. 1 की पुत्रवधु प्रतिवादी सं. 4 के नाम से अपनी संयुक्त भूमि की आय से, दोनों भाइयों की सहमति से खरीद की हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण की माता/सास/दादी सास के स्वर्गवास होने के बाद उनके नाम खरीदशुदा भूमि में से वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 की बहिनों प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने अपना विरासतन प्राप्त हिस्सा स्वयं ना लेते हुए, भूमि की उपजाऊ स्थिति को मध्य नजर रखते हुए दोनों भाइयों को समस्त भूमि का सहमति से बंटवारा कर लेने का कहा गया था और इसी अनुसार जैरवाद भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 4 ने निम्नानुसार घरू बंटवारा कर लिया, जिसके अनुसार चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 75/345 (8) के किला नं. 1/2 में 0.228 है0, 2 से 9/2.024 है0, 10/2 में 0.228 है0, 11/2 में 0.228 है0, 12 से 19/2.024 है0, 20/2 में 0.228 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 6.200 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादीगण को दी गई, जिसमें वादी सं. 1 का 5.062 है0 व वादीया सं. 2 का 1.138 है0 हिस्सा रखा गया एवं चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14 से 17/1.012 है0 = 2.024 है0 कमाण्ड भूमि प्रतिवादी सं. 1 को तथा चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 1 से 3/0.759 है0, 8 से 13/1.518 है0, 18 से 25/2.024 है0 = 4.301 है0 कमाण्ड भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 4 को दी गई, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1.138 है0 व प्रतिवादीया सं. 4 का 3.163 है0 हिस्सा रखा गया और इसी अनुसार एक–दूसरे को कब्जा सौंप कर काबिज काश्त हो गये और मौका पर घरू बंटवारा अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 को तहसील में जाकर उपरोक्तानुसार भूमि अपने–अपने नाम अंकन करवाने का निवेदन किया, लेकिन उन्होंने यह कहकर स्पष्ट इन्कार कर दिया कि उनके पास कार्यालयों में चक्कर काटने के लिए

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

समय है व ना ही फालतू में खर्च करने के लिए रूपये हैं, इसलिए वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर जैरवाद भूमि में उपरोक्त घरू बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित कर, मुताबिक घोषणा चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की (1) संयुक्त खाता सं. 40/36 में अंकित खाता की कुल 6.200 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर, उसके स्थान पर वादी के नाम 1.962 है0 व वादीया सं. 2 के नाम 1.138 है0 हिस्सा एवं (2) संयुक्त खाता सं. 26/26 में अंकित खाता की कुल 2.024 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में वादी सं. 1 और प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 का नाम कलमजन कर, उनके स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 3/4 हिस्सा यानि 1.518 है0 भूमि तथा (3) संयुक्त खाता सं. 28/28 में अंकित खाता की कुल 4.301 है0 कमाण्ड भूमि में वादीया सं. 2 का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.138 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दियों में अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से पूर्व में रहन अंकित भूमि वादीगण सं. 1 व 2 के नाम से उनके हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रहन अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के नाम पारित किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.01.2024 को प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप कुमार ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने जरिये अभिभाषक इकबाल दावा प्रस्तुत किया। साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 ने प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 का आपस में रिकॉर्ड में रकबा अंकन करवाने को लेकर विवाद हो जाने के कारण वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें दोनों पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 का आपस में, आपसी सहमति व रजामन्दी से राजीनामा सगे सम्बन्धियों, रिश्तेदारों और मित्रों के द्वारा करवा दिया गया है, इसलिए प्रार्थना–पत्र के संलग्न राजीनामा को प्रार्थीगण की उपस्थिति दर्ज करते हुए तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को शामिल मिसल कर पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सं. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को अदालत द्वारा पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर दोनों पक्षकारों द्वारा अपनी स्वेच्छा से स्वीकर किये जाने और वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की शिनाख्त उनके अभिभाषकगण द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। मुताबिक राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के सगे सम्बन्धियों, रिश्तेदारों और मित्रों ने वाद में अंकित खातेदारी कृषि भूमि अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 का आपस में राजीनामा करवा दिया है, इसी अनुसार दोनों पक्षकारान मौका पर काबिज चले आ रहे हैं। कब्जा को लेकर आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 मुताबिक राजीनामा जैरवाद भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने को पूर्ण रूप से सहमत हैं एवं इसी अनुसार वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

न्याय की मंशा है कि पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद का निपटारा शीघ्र हो ताकि पक्षकारान का अनावश्यक धन व समय बर्बाद न हो। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के मध्य लिखित राजीनामा हो चुका है, जिसे अदालत द्वारा पढ़कर, सुनाया जाकर व समझाया जाकर तस्दीक भी किया जा चुका है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 ने वाद में अंकित तथ्यों को राजीनामा के माध्यम से स्वीकार किया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की संयुक्त खाता सं. 40/36 के पत्थर नं. 75/345 (8) के किला नं. 1/2 में 0.228 है0, 2 से 9/2.024 है0, 10/2 में 0.228 है0, 11/2 में 0.228 है0, 12 से 19/2.024 है0, 20/2 में 0.228 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 6.200 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1/2 हिस्सा यानि 3.100 है0 में से 1.962 है0 भूमि का वादी सं. 1 को व 1.138 है0 भूमि का वादीया सं. 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 26/26 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14 से 17/1.012 है0 = 2.024 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में वादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 2–3 के नाम अंकित 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर यानि 1.518

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा इसी चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 28/28 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 1 से 3/0.759 है0, 8 से 13/1.518 है0, 18 से 25/2.024 है0 = 4.301 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से वादीया सं. 2 के नाम अंकित 1138/4301 हिस्सा यानि 1.138 है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की संयुक्त खाता सं. 40/36 के पत्थर नं. 75/345 (8) के किला नं. 1/2 में 0.228 है0, 2 से 9/2.024 है0, 10/2 में 0.228 है0, 11/2 में 0.228 है0, 12 से 19/2.024 है0, 20/2 में 0.228 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 6.200 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 राजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह का नाम कलमजन कर, उसके नाम अंकित 1/2 हिस्सा यानि 3.100 है0 भूमि में से 1.962 है0 भूमि वादी सं. 1 अंग्रेजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह व 1.138 है0 भूमि वादीया सं. 2 कुलविन्द्रकौर पत्नी अंग्रेजसिंह के नाम अंकित किये जाने एवं इसी चक 7 एस. एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 26/26 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14 से 17/1.012 है0 = 2.024 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में वादी सं. 1 अंग्रेजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह, प्रतिवादी सं. 2 बलविन्द्रकौर पुत्री गुरदेवसिंह, प्रतिवादी सं. 3 बलजीतकौर पुत्री गुरदेवसिंह का नाम कलमजन कर, इनके नाम अंकित कुल 3/4 हिस्सा यानि 1.518 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 राजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह के नाम अंकित किये जाने तथा इसी चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 28/28 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 1 से 3/0.759 है0, 8 से 13/1.518 है0, 18 से 25/2.024 है0 = 4.301 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में वादीया सं. 2 कुलविन्द्रकौर पत्नी अंग्रेजसिंह का नाम कलमजन कर, उसके नाम अंकित 1138/4301 हिस्सा यानि 1.138 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 राजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह के नाम अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से पूर्व में रहन अंकित भूमि वादीगण सं. 1 व 2 के नाम से उनके हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रहन अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–

1. **अंग्रेज सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
2. **कुलविन्द्र कौर पत्नी अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

–वादीगण

बनाम

1. **राजसिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
2. **बलविन्द्र कौर पुत्री स्व. गुरदेव सिंह पत्नी बलकौर सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम वीरेवाला तहसील सरदूलगढ़ जिला मानसा, पंजाब**
3. **बलजीत कौर पुत्री स्व. गुरदेव सिंह पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान**
4. **राजवीर कौर पत्नी शैलेन्द्र सिंह पुत्रवधु राजसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
5. **राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**
6. **शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
7. **शाखा प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत 88, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 25 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री राकेश कुमार मनचन्दा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 श्री प्रदीप कुमार एवं पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 7 एस.एच.पी.डी. 'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की संयुक्त खाता सं. 40/36 के पत्थर नं. 75/345 (8) के किला नं. 1/2 में 0.228 है0, 2 से 9/2.024 है0, 10/2 में 0.228 है0, 11/2 में 0.228 है0, 12 से 19/2.024 है0, 20/2 में 0.228 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 6.200 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1/2 हिस्सा यानि 3.100 है0 में से 1.962 है0 भूमि का वादी सं. 1 को व 1.138 है0 भूमि का वादीया सं. 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 26/26 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14 से 17/1.012 है0 = 2.024 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में वादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 2–3 के नाम अंकित 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर यानि 1.518 है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तथा इसी चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 28/28 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 1 से 3/0.759 है0, 8 से 13/1.518 है0, 18 से 25/2.024 है0 = 4.301 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से वादीया सं. 2 के नाम अंकित 1138/4301 हिस्सा यानि 1.138 है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की संयुक्त खाता सं. 40/36 के पत्थर नं. 75/345 (8) के किला नं. 1/2 में 0.228 है0, 2 से 9/2.024 है0, 10/2 में 0.228 है0, 11/2 में 0.228 है0, 12 से 19/2.024 है0, 20/2 में 0.228 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 6.200 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 राजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह का नाम कलमजन कर, उसके नाम अंकित 1/2 हिस्सा यानि 3.100 है0 भूमि में से 1.962 है0 भूमि वादी सं. 1 अंग्रेजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह व 1.138 है0 भूमि वादीया सं. 2 कुलविन्द्रकौर पत्नी अंग्रेजसिंह के नाम अंकित किये जाने एवं इसी चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 26/26 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14 से 17/1.012 है0 = 2.024 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में वादी सं. 1 अंग्रेजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह, प्रतिवादी सं. 2 बलविन्द्रकौर पुत्री गुरदेवसिंह, प्रतिवादी सं. 3 बलजीतकौर पुत्री गुरदेवसिंह का नाम कलमजन कर, इनके नाम अंकित कुल 3/4 हिस्सा यानि 1.518 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 राजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह के नाम अंकित किये जाने तथा इसी चक 7 एस.एच.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 28/28 के पत्थर नं. 82/345 (3) के किला नं. 1 से 3/0.759 है0, 8 से 13/1.518 है0, 18 से 25/2.024 है0 = 4.301 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में वादीया सं. 2 कुलविन्द्रकौर पत्नी अंग्रेजसिंह का नाम कलमजन कर, उसके नाम अंकित 1138/4301 हिस्सा यानि 1.138 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 राजसिंह पुत्र गुरदेवसिंह के नाम अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से पूर्व में रहन अंकित भूमि वादीगण सं. 1 व 2 के नाम से उनके हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रहन अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.02.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)